ई–मेल / डाक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः प.3(3)(2)रोल्स / निर्वा / 2013 / 391 जयपुर दिनांकः 07 फरवरी, 2013

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान जयपुर।

प्रेषितिः समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः अर्हता दिनांक 1 जनवरी, 2013 के संदर्भ में सेवा नियोजित मतदाताओं (सर्विस वोटर) की मतदाता सूचियों का (Summary Revision) संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं मतदाता सूची तैयार किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 24 / 2013–वोल.–II–ईआरएस दिनांक 10 अक्टूबर, 2013.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा में भारत निर्वाचन आयोग ने सेवा नियोजित मतदाताओं की मतदाता सूचिया, जो साधारण मतदाता सूचियों का अंतिम भाग होती है, के संक्षिप्त पुनरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये है, ताकि सेवा नियोजित मतदाताओं की मतदाता सूचियों को अर्हता दिनांक 1 जनवरी, 2013 के संदर्भ में आंदिनांक किया जा सकें एवं पात्र सेवारत कर्मचारियों / अधिकारियों के नाम मतदाता सूची में जुड़ सकें।

2. निर्वाचन आयोग के संदर्भित पत्र की फोटो प्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित की जा रही है। इस पत्र में उल्लेखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से निम्न प्रकार से आकर्षित किया जा रहा हैं।

2.1 भारत निर्वाचन आयोग ने अर्हता दिनांक 1.1.2002 के पश्चात् सामान्य मतदाता सूचियों एवं सेवानियोजित मतदाताओं के लिए तैयार की जाने वाली मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को पृथक कर दिया है अर्थात सेवानियोजित मतदाताओं के लिए मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण अलग से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। उक्त व्यवस्था निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 में सेवानियोजित मतदाताओं को प्रोक्सी के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए किये

गये संशोधनों को ध्यान में रखते हुए की गई है जिससे कि सेवानियोजित मतदाताओ की मतदाता सूचियॉ आदिनांक रहे।

2.2 गत वर्षो में पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान यदि मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु सेवारत व्यक्ति द्वारा आवेदन नहीं किया गया है तथा ऐसे सेवारत मतदाता जिनकी आयु 1.1.2013 को 18 वर्ष की हो गई है तो वह अब अपना नाम मतदाता सूची में जुडवाने हेतु संबंधित रिकार्ड आफिसर के माध्यम से निर्धारित आवेदन पत्र 2, 2क एवं 3 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। विभाग को रिकार्ड आफिस के माध्यम से समय–समय पर प्राप्त इस प्रकार के आवेदन पत्र संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को भिजवाये गये है।

2.3 सेवानियोजित मतदाता के पंजीकृत होने हेतु पात्रता, रिकार्ड आफिस से प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रो की जॉच, सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची एवं पूरक तैयार करना, सेवा नियोजित मतदाताओं की नामावली का रिकार्ड आफिसवार सार तैयार करना आदि के विषय में पूर्व के निर्देशों का भली प्रकार अध्ययन करलें।

3. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस विषय में यह निर्देश दिये है कि रिकार्ड आफिसर के माध्यम से विधिवत सत्यापन के बाद अग्रेषित किये जाने वाले समस्त आवेदन पत्र 31 दिसम्बर, 2012 तक संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में पहुच जावें। इस तिथि तक प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन पत्रों की जॉच निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी तथा इसके आधार पर अर्हता दिनांक 1.1.2013 के क्रम में पंजीकृत सेवानियोजित मतदाताओं का प्रथम पूरक तैयार किया जावेगा। उक्त पूरक के संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 31 दिसम्बर, 2012 तक कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किया जाएगा। 31 दिसम्बर, 2012 के बाद रिकार्ड आफिस से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के निस्तारण के बाद निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया का द्वितीय पूरक तैयार किया जाएगा जो कि 30 जून, 2013 तक कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किया जाएगा। **अतः आयोग के निर्देशो के अनुसार**

सेवानियोजित मतदाताओं के क्रम में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के क्रम में वर्ष में 2 बार पूरक तैयार किये जाएगें।

4. संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त हुए आवेदन पत्र में सेवानियोजित मतदाताओं के अभिकथन के नीचे मुद्रित काउन्टर फाइल (प्रतिपर्ण) मय मतदाता सूची के अंतिम भाग के सार की प्रति संबंधित रिकार्ड आफिस को प्रेषित किये जाएगें। अभिकथन की द्वितीय प्रति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। अतः 31 दिसम्बर, 2012 तक प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों के क्रम में प्रतिपर्ण पूरक सूची तैयार होने के तुरन्त बाद संबंधित रिकार्ड आफिस को 28 फरवरी, 2013 तक आवश्यक रूप से भिजवायें तथा इसी प्रकार की कार्यवाही 31 जुलाई, 2013 तक द्वितीय पूरक सूची के परिपेक्ष्य में की जाये।

5. जिला निर्वाचन अधिकारी इस क्रम में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से उक्त आशय की सूचना प्राप्त कर विभाग को मार्च, 2013 के प्रथम सप्ताह तक यह प्रमाण पत्र भेजेगें कि सभी प्राप्त आवेदन पत्रों के क्रम में फार्म 2, 2ए या 3 की एक प्रति उसके प्रतिपर्ण की पूर्ति के पश्चात् एवं मतदाता सूची के अंतिम भाग के सार संबंधित रिकार्ड आफिस को भेज दिए गए है। इसी प्रकार से द्वितीय प्रमाण–पत्र माह अगस्त, 2013 के प्रथम सप्ताह में भेजा जाना है जिससे कि विभाग स्तर से भारत निर्वाचन आयोग को इस क्रम में प्रमाण पत्र भेजा जा सकें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सेवानियोजित मतदाताओं की मतदाता सूची तैयार की जावे।

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.3(3)(2)रोल्स / निर्वा / 2013 / 391 जयपुर दिनांकः 07 फरवरी, 2013

प्रतिलिपिः समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर